(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1993 को इकोनोमिक टाइम्स में "इंडिया मूविंग टुवार्डस न्यु लेबर ला रिजीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश में विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने के लिए देश के वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) अप्रैल 1990 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में नये औद्योगिक संबंध विधेयक के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को प्रारूपित करने के लिए मई, 1990 में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1990 में प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थी। रिपोर्ट पर फरवरी, 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। रिपोर्ट में असहमति के क्षेत्रों पर भी पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति में विचार विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुर्नसंरचना संबंधी अन्तर्मंत्रालीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1976 में संशोधित करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेश, उद्योग का आधुनीकीकरण एवं रोजगार संवर्धन के लिए उत्प्रेरक वातावरण तैयार करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड का गठन

***5. श्री राम सिंह राठवा :**
श्री शांति त्यागी:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र कर्मचारियों तथा पत्रकारों के लिये नये वेतन एवं पेंशन योजना के संबंध में कोई वेतन बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं और सरकार ने किन-किन व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया है तथा उनका कार्यकाल कितना है;

(ग) क्या सरकार को समाचारपत्र कर्मचारियों तथा पत्रकारों के लिये पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस पेंशन योजना को कब तक लागू करने का विचार रखती है और इस योजना से कितने कर्मचारी तथा पत्रकार लाभांवित होंगे और यह यह योजना किस वर्ष से लागू की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ख) श्रमजीवी पत्रकार और गैरपत्रकार समाचारपत्र व समाचार-एजेंसी कर्मचारियों के लिये नये वेतन बोर्ड के गठन के मामसू पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । कर्मचारी भविष्य निधि के अंश दाताओं के लिये प्रस्तावित पेंशन योजना योजना के बारे में विभिन्न श्रमिक सघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं । उपर्युक्त पेंशन योजना लागू करने के लिये सरकार द्वारा राज्य सभा में एक विधेयक पहले ही रखा जा चुका है । सरकार का प्रयास योजना को इस तरह से लागू करने का

है ताकि यह चालू वित्त-वर्ष के प्रारंभ से प्रभावी हो सके । विद्यमान परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी व अन्य, जो इस प्रस्तावित पेंशन योजना को अपनाना चाहें, इस योजना में शामिल किये जायेंगे ।

Poor state of PDS in North-Eastern States

*6. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the severe shortcomings in the Public Distribution System in the North-eastern states;

(b) whether the inferior quality of foodgrains and inadequate storage facilities are adding to the problems of the region; and

(c) if so, what steps Government have taken or propose to take in this regard to ensure the adequate supply of essential commodities and foodgrains to the North-eastern states?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (e) The entire requirement of foodgrains and other PDS commodities for the North-Eastern States is being transported from outside this region by rail and road. The long distances involved coupled with the difficult terrain etc. do cause difficulties for the Public Distribution system in this region. It is not true that inferior quality of foodgrains are being supplied to the North-Eastern States. Central Government has taken a number of steps to improve the supplies for the Public Distribution System in the North-Eastern States.

The Food Corporation of India makes efforts to keep adequate stocks in the region to meet contingent requirements during the monsoon season. Priority has been given for creation of adequate storage infrastructure by the FCI in the North-Eastern States. Central Government provides financial assistance to State Governments for creation of storage capacity in Revamped PDS areas and all North Eastern States on liberal terms. Similar assistance is also given to the State Governments for purchase of vans which could be used either as mobile fair price shops or for transportation of PDS commodities to the door step of the fair price shops.

The functioning of PDS in North-Eastern States is reviewed from time to time in consultation with the concerned States.

Formation of workers' Co-operatives to run sick units

*7. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he has expressed his disappointment over failure of trade unions and workers connected with sick industries in the public sector to come forward and form workers' co-operatives to revive sick and closed units;

(b) whether Government have formulated any scheme for the formation of Workers Co operative, if so, what are the details thereof;

(c) whether Banks and creditor's liabilities over sick and closed units are proposed to be suspended;

(d) what are the conditions for handing over sick and closed units to workers; and

(e) whether Government propose to hand over these sick units to workers' co-operatives formed by the unemployed workers of other units in case workers belonging to connected sick industries re-